<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

इलेक्टोरल बेयरर बांड स्कीम, 2018
भारतीय स्टेट बैंक की प्राधिकृत शाखाओं में बिक्री

भारत सरकार ने दिनांक 02 जनवरी , 2018 के राजपत्र अधिसूचना एस.ओ. संख्या 29(ई) द्वारा इलेक्टोरल बांड स्कीम, 2018 अधिसूचित की है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार , इलेक्टोरल बांड किसी भी व्यक्ति द्वारा खरीदा जा सकता है , जो भारत का नागरिक है या भारत में निगमित या स्थापित है। एक व्यक्ति व्यष्टि की हैसियत से अकेले या अन्य व्यष्टियों के साथ संयुक्त रूप से इलेक्टोरल बांड खरीद सकता है। जनप्रतिनिधि अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 29(क) के तहत केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टियां जिन्हें संसद या राज्य विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए वोट में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुआ हो, इलेक्टोरल बांड प्राप्त करने का पात्र होगा। बांड का नकदीकरण पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा केवल प्राधिकृत बैंक के बैंक खाते के जरिए होगा।

2. भारतीय स्टेट बैंक को आरंभ में अपने चार प्राधिकृत शाखाओं में इलेक्टोरल बांड जारी करने और भुनाने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जैसाकि नीचे दिया गया है। 2018 की पहली तिमाही के लिए जनवरी, 2018के स्थान पर मार्च, 2018 में स्कीम का पहला निर्गम शुरू होगा। तदनुसार, इलेक्टोरल बांड की पहली बिक्री 10 दिनों की अवधि अर्थात 10 मार्च, 2018 तक के लिए 01 मार्च, 2018 से शुरू होगी।

चेन्नई मुख्य शाखा	**कोलकाता मुख्य शाखा**	**मुंबई मुख्य शाखा**	**नई दिल्ली मुख्य शाखा**
84, राजाजी सलायी चेन्नई-600001 (शाखा कोड-00800)	समृद्धि भवन 1, स्ट्रैंड रोड कोलकाता-700001 (शाखा कोड-00001)	हॉर्नीमन सर्किल फोर्ट मुंबई-400001 (शाखा कोड-00300)	11, संसद मार्ग , नई दिल्ली-110001 (शाखा कोड-00691)

3. यह विदित हो कि इलेक्टोरल बांड , इसकी खरीद की तारीख से 15 दिनों के लिए वैध होंगे और यदि बांड वैध अवधि की समाप्ति के बाद जमा किया जाता है , तो किसी आदाता राजनीतिक पार्टी को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। किसी पात्र राजनीतिक पार्टी द्वारा अपने खाते में जमा किए गए बांडको उसी दिन क्रेडिट किया जाएगा।

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
आर्थिक कार्य विभाग
बजट प्रभाग
नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-11001
तारीख: 22 फरवरी, 2018